न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 14/2025
जीसीएमएस नम्बर :: 2025/87

अपीलाण्ट :–
गोपाल कृष्ण पारीक पुत्र स्व. श्री हरिराम पारीक जाति ब्राह्मण, निवासी – 6 खंजाचियों का बास, पाली हाल निवासी– 67, पुराना सिनेमा गली, पारीख भवन गोपालजी मोहल्ला ब्यावर

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–
1. महेश पुत्र स्व. श्री हरिराम पारीक जाति ब्राह्मण, निवासी – 6 खंजाचियों का बास पानी दरवाजा, पाली।
2. मधुसुदन पुत्र स्व. श्री हरिराम पारिक जाति ब्राह्मण, निवासी– 6 खंजाचियों का बास पानी दरवाजा, पाली।
3. सुशीला देवी पुत्री स्व. श्री हरिराम पारीक पत्नी स्व. श्री महेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी – कडेल वाया पुष्कर जिला अजमेर।
4. तारा देवी पुत्री स्व. श्री हरिराम पारीक जाति ब्राह्मण पत्नी विष्णुदत्त निवासी तम्बाकु गली तेजा चौक ब्यावर जिला ब्यावर।
5. संतोष पुत्री स्व. श्री हरिराम पारीक पत्नी जुगल किशोर जाति ब्राह्मण निवासी– सीएस 104, शिवाजी नगर, पाली।
6. द्वारका प्रसाद पारीक पुत्र स्व. श्री हरिराम पारीक जाति ब्राह्मण, निवासी रजत नगर रामदेव रोड़ पाली
7. सुनीता देवी पुत्री स्व. श्री हरिराम पारीक पत्नी दिलीप पारीक जाति ब्राह्मण निवासी गांव झुठा पीपलिया कलां के पास तहसील रायपुर जिला ब्यावर।
8. धमेन्द्र पुत्र स्व. श्री हरिराम पारीक जाति ब्राह्मण निवासी – 6 खंजाचियों का बास, पानी दरवाजा, पाली।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भूमिधारी पाली।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद राजपुरोहित
रेस्पोडेण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– **27.10.2025**

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1105 दिनांक 03.09.1986 को निरस्त कराने बाबत् पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद राजपुरोहित व रेस्पोडेण्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत उपस्थित हुए। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पाली प्रथम, पटवार हल्का पाली प्रथम भू अभि. नि. पाली तहसील पाली जिला पाली खसरा नम्बर 121 व 122 रकबा 162 बीघा भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के दादा सीताराम जी को पैतृक कृषि भूमि के रूप में प्राप्त हुई थी। वक्त सेटलमेन्ट उक्त कृषि भूमि अपीलाण्ट के दादा सीतारामजी ने अपने पुत्र हरिराम पारीक के पक्ष में 1/2 भूमि को राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाया तथा 1/2 भूमि अपीलाण्ट के दादा सीताराम खातेदार रहे परन्तु उक्त कृषि भूमि पैतृक भूमि थी, जिसमें अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट का बराबर का हिस्सा होता है परन्तु सीतारामजी की पत्नी गुलाब बाई व पिता श्री हरिराम ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 पर अधिक मोह होने के कारण व अपीलाण्ट को पुश्तैनी जमीन में हक हिस्सा नही देने की नियत से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के नाम विधि विरूद्ध तरीके से विवादित नामान्तरकरण स्वीकृत करवा दिया जो काबिले खारिज है। जैर नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय अपीलाण्ट को न तो सुना गया, न ही नोटिस जारी किया गया, न ही जवाब साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों अनुसार दिया जाना कानूनन आज्ञापक प्रावधान है, जिस आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए अदालत मातहत द्वारा Void ab-initio एवं Nunest आदेश जैर अपील कानूनन काबिले निरस्त के है। अतः जैर नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से खारिज फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि जैर आराजी अपीलाण्ट के दादा व पिता की स्वअर्जित आय से खरीदशुदा सम्पति है। सीताराम जी ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण जैर आराजी रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 के नाम वसीयत करवाने के उपरान्त वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण धारा 135(2) के तहत दर्ज कर बाद जांच जैर नामान्तरकरण विधिनुसार ही स्वीकृत किया गया है। अतः अपील–अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज फरमावे।

सर्वप्रथम अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

जिला कलक्टर, पाली

प्रकरण में श्रवणशुदा बहस एवं पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर मनन करने पर पाया कि प्रकरण में अपीलाण्ट का मुख्य उज्र यह है कि ग्राम पाली प्रथम के खसरा संख्या 121 व खसरा संख्या 122 रकबा 162 बीघा भूमि में से आधी–आधी भूमि अपीलाण्ट के पिता व अपीलाण्ट के दादा को पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई। पैतृक सम्पति में अपीलाण्ट के दादा ने अपीलाण्ट की पुश्तैनी जमीन में हक हिस्सा नही देने की नियत से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के नाम फर्जी वसीयत के आधार पर विधि विरूद्ध तरीके से विवादित नामान्तरकरण स्वीकृत करवा दिया जो कि विधि विरूद्ध है। विपक्षी अधिवक्ता ने अपीलाण्ट के कथनों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि

जैर आराजी अपीलाण्ट के दादा व पिता की स्वअर्जित आय से खरीदशुदा सम्पति है। सीतारामजी ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण जैर आराजी अपने जीवनकाल में ही रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 के नाम वसीयत कर दी थी एवं उसी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण धारा 135(2) के तहत दर्ज कर बाद जांच जैर नामान्तरकरण विधिनुसार ही स्वीकृत किया गया है।

हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजों एवं उभयपक्षों की बहस से यह सुस्पष्ट है कि अधिवक्ता अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे प्रमाणित होता हो कि विवादित आराजी अपीलाण्ट के दादा व अपीलाण्ट के पिता की स्वअर्जित आय से क्रय नहीं की गई हो। साथ ही अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने कथनों की ताईद में ऐसा कोई राजस्व रिकॉर्ड, खरीद दस्तावेज या अन्य वैध प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि जैर आराजी co-parcener की भूमि हो। दूसरी ओर विपक्षी अधिवक्ता ने यह सुस्पष्ट किया है कि विवादित आराजी स्व–अर्जित सम्पत्ति है और वसीयत सीताराम जी जो कि अपीलाण्ट के दादा है, के द्वारा अपने जीवनकाल में स्वतंत्र इच्छा से की गई है। विधि की दृष्टि में भी यह सर्वमान्य सिद्धानत है कि 'कोई भी व्यक्ति अपनी स्व–अर्जित सम्पति की वसीयत अपनी इच्छानुसार किसी के भी पक्ष में कर सकता है और ऐसी वसीयत के आधार पर किया गया नामान्तरकरण विधि विरूद्ध नहीं होता एवं सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक नजीर *AIR 2004 SC 1257 & AIR 1994 SC 1343* ने भी यही न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है। प्रकरण में स्पष्ट है कि वसीयत वैध रूप से की गई थी और उसी के आधार पर जैर नामान्तरकरण विधि–सम्मत ढंग से स्वीकृत किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते। अतः तथ्यों, अभिलेखों एवं विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट अपने दावे को प्रमाणित करने में असफल रहा है। जैर नामान्तरकरण आदेश विधि के अनुरूप पारित किया गया है तथा उसमें कोई विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती।

लिहाजा हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों के दृष्टिगत अपील–अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक **27.10.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एम. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली